# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.**

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./39/2020/बाड़मेर**

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| श्रीमती दलूदेवी पत्नी केवाराम, जाति रबारी, निवासी डांगरीया, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। | 1. श्रीमती नारंगी देवी पुत्री मिसराराम पत्नी बाबुलाल<br>2. श्रीमती हुलासी देवी पत्नी मिसराराम फौत– जिसके कायम मुकाम रेस्पों. संख्या 01 से 3/1 से 3/9 व 4/1 से 4/5 है।<br>3. रामेशवरलाल पुत्र मिसराराम फौत के कायम मुकाम–<br>3/1. मुकेश पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/2. गोपाल पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/3. ईश्वर पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/4. महेन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/5. गौरव पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/6. उषा पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/7. रेखा पुत्र स्व. रामेश्वरलाल<br>3/8. कान्ता पुत्री स्व. रामेश्वरलाल<br>3/9. पूजा पुत्री स्व. रामेश्वरलाल<br>4. स्व. गणपतलाल पुत्र मिसराराम के वारीसान–<br>4/1. मु. ढलकी पत्नी स्व. गणपतलाल<br>4/2. लक्ष्मणराम पुत्र गणपतलाल<br>4/3. गुलाब पुत्र स्व. गणपतलाल<br>4/4. रतनलाल पुत्र स्व. गणपतलाल<br>4/5. अक्षय पुत्र स्व. गणपतलाल, रेस्पों. संख्या 4/5 अवयस्क जरिये कु. वलिया, रेस्पों. संख्या 4/1 मु. ढलकी पत्नी स्व. गणपतलाल, जाति ब्राहमण, निवासी पादरड़ी, हाल निवासी कीरों की ढाणी, पाली मारवाड़, जिला पाली राज.<br>5. श्रीमती तुलसी पत्नी रामाराम<br>6. हीराराम पुत्र बगताराम<br>7. अचलाराम पुत्र बगताराम<br>8. वीरमाराम पुत्र बगताराम, जाति जाट निवासी पादरड़ी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।<br>9. राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार, गुड़ामालानी। |

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2012 बउनवान श्रीमती नारंगी बनाम रामेश्वरलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थितिः—

1. वकील श्री रामस्वरूप शर्मा अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## —:निर्णयः—

दिनांकः—29.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 01 व 02/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 207 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि गांव डॉगरीया, तहसील गुड़ामालानी खसरा संख्या 159 रकबा 05.19 बीघा, 163 रकबा 11.18 बीघा व 193 रकबा 26.16 बीघा गांव पादरड़ी, तहसील गुड़ामालानी खसरा संख्या 145/6 रकबा 20.00 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलांट ने ग्राम डॉगरीया के खेत खसरा संख्या 193 रकबा 26.16 बीघा का हिस्सा 1/2 रेकार्डेड खातेदार रेस्पों. संख्या 3 रामेश्वरलाल से जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 1535 दिनांक 20.06.2011 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया अब इस अपीलाधीन खसरा संख्या 193 मौजा डॉगरीया में हिस्सा 1/2 की अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है। शेष 1/2 हिस्सा रेस्पों संख्या 4/1 से 4/5 की खातेदारी में है अपीलांट अपने हक हिस्से अनुसार काबिज—काश्त है। श्रीमती नांरगी पुत्री मिसराराम रेस्पों. संख्या 1 ने अपनी माता हुलासी देवी के साथ होकर अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी घोषणा खातेदारी व स्थायी निषधाज्ञा की सहायता प्राप्ति हेतु पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलांट के हितों पर कुठाराघात हुआ है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया रेस्पों. संख्या 01 व 02/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92, 207 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि गांव डॉगरीया, तहसील गुड़ामालानी खसरा संख्या 159 रकबा 05.19 बीघा, 163 रकबा 11.18 बीघा व 193 रकबा 26.16 बीघा गांव पादरड़ी, तहसील गुड़ामालानी खसरा संख्या 145/6 रकबा 20.00 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलांट ने ग्राम डॉगरीया के खेत खसरा संख्या 193 रकबा 26.16 बीघा का हिस्सा 1/2 रेकार्डेड खातेदार रेस्पों. संख्या 3 रामेश्वरलाल से जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 1535 दिनांक 20.06.2011 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया अब इस अपीलाधीन खसरा संख्या 193 मौजा डॉगरीया में हिस्सा 1/2 की अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है। शेष 1/2 हिस्सा रेस्पों संख्या 4/1 से 4/5 की खातेदारी में है अपीलांट अपने हक हिस्से अनुसार काबिज–काश्त है। श्रीमती नांरगी पुत्री मिसराराम रेस्पों. संख्या 1 ने अपनी माता हुलासी देवी के साथ होकर अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थायी घोषणा खातेदारी व स्थायी निषधाज्ञा की सहायता प्राप्ति हेतु पेश किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया है जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायलय से कभी भी कोई सम्मन/नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और ना ही अपीलांट द्वारा किसी वकील को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु कोई अधिकार पत्र सुपुर्द किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 03 नियम 04 अनुसार वकील को वकालतनामा पक्षकार की ओर से पेश करना आवश्यक है न्याय का मत है कि बिना लिखित प्राधिकार के वकील की उपस्थिति विधि की नजर में उपस्थित नहीं मानी जावे। उक्त तथ्यों अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2018 द्वारा जो अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी वह विधि संगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। रेस्पों. संख्या 3 रामेश्वरलाल जिसने अपना रेकार्डेड खातेदारी हिस्सा बेचान कर दिया था उसके हिस्से की सीमा को वाद पत्र में चुनौती दी गई जिसको कोई हिस्सा हस्तगत आराजी में शेष ही नहीं रहा है। जहां तक पैतृक संपति का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों में सम्पति निहित होना एवं मौके पर भौतिक रूप से प्रथम श्रेणी के उत्तरांधिकारियों में भूमि विभाजित होने के पश्चात् उस सम्पति को पैतृक सम्पति नहीं माना जा सकता है। उक्तानुसार वकील रेस्पों. की पैतृक संपत्ति संबंधी उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त आधार अनुसार वाद पत्र औचित्यहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे है। प्रश्नगत बेचान का प्रतिफल रेस्पों. द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। अपीलांट अपनी कब्जा–काश्त एवं खरीदशुदा आराजी का खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के तथ्यों से परे जाकर पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अंडरटेकिंग ली गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनेकों बार अपीलांट की साक्ष्य में रखा गया। जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण से प्रतिवादी/अपीलांट की साक्ष्य बंद की जाकर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की क्रेता है। रेस्पों. संख्या 1 व 2 विधिक वारिस होने से अपने हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। रेस्पों. संख्या 03 द्वारा भूमि का बेचान अपीलांट को कर दिया है। जबकि विधिक हिस्से अनुसार रेस्पों. संख्या 03 रामेश्वर को अपने अधिकार से परे जाकर पैतृक आराजी जिस पर समस्त विधिक वारिसान का हक–अधिकार जन्म से ही था का बेचान करने का अधिकार ही नहीं था। रेस्पों. संख्या 3 द्वारा किया गया है जो विधि के सिद्धान्तों से परे है। उक्त बेचान से अपीलांट के हितों पर कुठारघात हुआ है। विधिक अधिकार से अधिक बेचान विधि अनुसार शून्य एवं निष्प्रभावी माना जाता है। अतः अपीलांट के उक्त पैतृक सहदायिक कथन के उज्र का इस स्तर पर कोई सार नहीं है। रेस्पों. संख्या 1 के पिता की मृत्यु वर्ष 2005 में हुई यह तथ्य अपीलांट को भी स्वीकार है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी रेस्पों. संख्या 1 व 2 की पैतृक आराजी है जिस पर लागतार निर्विवाद रूप से इनका कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये –

1- 2020(3)DNJ(Raj.)-697

2- 2020(2)RRT 998

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना सुने ही अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कभी कोई नोटिस/सम्मन हस्तगत प्रकरण के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। क्योंकि अपीलांट/प्रतिवादी के कब्जे काश्त में रेस्पो./वादी द्वारा न तो दखल किया गया और न ही कभी मौके पर आए। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान ही नहीं हुआ। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ज्ञान के ही तथ्यों को छुपाते हुए आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद अपीलांट्स की ओर से वकील द्वारा अंडरटेकिंग ली गई जिसके बाद जानबूझकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विधि अनुसार अपील करने की समय सीमा 60 दिवस है लेकिन हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा लगभग 01 वर्ष बाद पेश की गई है, जिसे विना किसी वास्तविक कारण के माफ किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.02.2020 को जानकारी में आया। उक्तानुसार अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायायल में पैरवी करने हेतु किसी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया गया था और ना ही किसी अधिवक्ता को अधिकार पत्र सुपुर्द किया गया था, किसी अधिवक्ता द्वारा अंडरटेंकिग लेकर दुबारा उपस्थित नहीं होने को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो हाजा न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 92, 207 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2012 बउनवान श्रीमती नारंगी बनाम रामेश्वरलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

16.12.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर